संख्याः 1073 /XVIII(II)/2011–18(54)/2009

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः15 जून, 2011

विषयः–जनता चिल्ड्रन जूनियर हाई स्कूल, रूमसी, रूद्रप्रयाग को ग्राम रूमसी, जिला रूद्रप्रयाग में विद्यालय हेतु 0.243 है0 भूमि, दान में प्राप्त किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1673/सात–06(2008–09), दिनांक–19.3.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनता जूनियर हाई स्कूल, रूमसी, रूद्रप्रयाग को ग्राम रूमसी, जिला रूद्रप्रयाग में विद्यालय हेतु 0.243 है0 भूमि, दान में प्राप्त किये जाने की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) के अन्तर्गत, एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओ के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– दान प्राप्तकर्ता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– दान प्राप्तकर्ता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– दान प्राप्तकर्ता द्वारा दान में प्राप्त की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के दान विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/ जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा भूमि दान में प्राप्त किये जाने की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– प्रस्तावित भूमि का उपयोग विद्यालय द्वारा मात्र विद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

8– विद्यालय द्वारा, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 के विधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसके अनुसार स्थावर सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत विलेख आवश्यक है।

9– किसी भी दशा में दान प्राप्तकर्ता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि दान में प्राप्त किये जाने के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)